19.7.22	कोई उपस्थित नहीं। वादी एवं उनके वकील को कई बार आवाज लगाई गई कोई हाजिर जवाब नहीं आया। अतः इवा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी के खारिज किया जाता है। पक्षकार ~~[illegible]~~ खर्चा खुशखुशी होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)